



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website www.uniraj.ac.in, Email acad.2uor@gmail.com

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय / 2024 / 5376-77

दिनांक : 04/05/2024

मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा)
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।


विषय:—छात्रावासों (छात्र/छात्रा) के प्रवेश शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि सिण्डीकेट की बैठक दिनांक 19.06.2015 व 23.06.2015 के निर्णयानुसार छात्रावास (छात्र/छात्रा) में प्रवेश से संबंधित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती रही है।

अतः उक्त सिण्डीकेट निर्णयानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन छात्रावासों (छात्र/छात्रा) में प्रवेश से संबंधित शुल्कों में सत्र 2024-25 के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय / 2024 / 5378-5489

दिनांक : 04/05/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप-कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान, विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त हॉस्टल वार्डन (छात्र एवं छात्राएँ), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-2)